न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00028

1. निहाला आयु 46 वर्ष आत्मज माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सोहनी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मोहनी बाई आयु 41 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खटकड तहसील एवं जिला बून्दी में कुल 06 किता की रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से आज तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा को छोडकर शेष कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा वादीगण के पिता स्व0 माधो आत्मज भंवर लाल मेहर के खाते में दर्ज थी । उनके निधन के बाद वादीगण के खाते में आ

गई तदोपरान्त वर्तमान में उक्त भूमि में वादीगण का नाम विलोपित हो गया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि को वापस अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीग के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 217 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा जो वादीगण के खाते में दर्ज थी को वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.03.2020 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है । वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 के बाद ही कोराना बीमारी का कहर जारी हो गया तथा उक्त कोराना बीमारी के कारण न्यायालयों में कार्य नियमित रूप से होना बन्द हो गया इस कारण अपीलान्ट उक्त निर्णय की अपील समय पर पेश नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य पेश की गई जबकि वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश की गई थी जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया फिर भी दावा खारिज किया गया है । कल्पना के आधारपर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकार सिवायचक है जिसके बाबत् हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । यह आराजी सरेण्डर के आधार पर सिवायचक दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा यह कथन करते हुए एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है कि खसरा नम्बर 217 की रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा आराजी उनके पिता माधो आत्मज भंवर लाल के खाते में दर्ज थी जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से विलोपित किया गया है । अतः यह आराजी उनके खाते दर्ज की जावे । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श– 1 नामान्तरकरण संख्या 270 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 217 की रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा आराजी माधो आत्मज भंवर लाल के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । प्रदर्श– 2 नामान्तरकरण संख्या 893 है, प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2048–51 है जिसके अनुसार वादीगण के खाते में कुल 06 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है। प्रदर्श– 5 व 6 डाक विभाग की रसीदें हैं, प्रदर्श–7 मिलान क्षेत्रफल की प्रति है इस मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 217 के साबिक खसरा नम्बर 110/1 मिन और 146 मिन हैं । प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 है । प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस की प्रति है ।

12. वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में शपथ पत्र निहाला आत्मज माधो एवं गोपीलाल आत्मज मथुरा लाल पेश किये हैं जिनमे से निहाला ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद की है । दूसरे गवाह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । इसलिए उसका शपथ पत्र सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मौखिक साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है ।

13. पत्रावली पर एक नामान्तरकरण संख्या 610 की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार निर्णय दिनांक 10.07.1996 के अनुसार खसरा नम्बर 217 की 02 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा 17 बिस्वा आराजी राज्य सरकार को समर्पित करके सरकारी सिवायचक दर्ज की गई है । वादी ने अपने दावे में इस समर्पण के बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं जबकि वादी को समस्त तथ्यों को अंकित करते हुए दावा पेश करना चाहिए था । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संनत् 2072–75 के अनुसार खसरा नम्बर 1268/217 की 01 बीघा 02 बिस्वा आराजी ही वादी के खाते में दर्ज है । वादी के खाते से जो आराजी कम हुई है वो उनके समर्पण के आधार पर नामान्तरण संख्या 610 के अनुसार हुई है । इस प्रकार वादी ने तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है जिसको परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/00028

1. निहाला आयु 46 वर्ष आत्मज माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सोहनी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मोहनी बाई आयु 41 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 104/दावा/2018

1. निहाला आयु 46 वर्ष आत्मज माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सोहनी बाई आयु 43 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मोहनी बाई आयु 41 वर्ष पुत्री माधो जाति मेहर निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री राजकुमार माथुर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2020 बहाल रखा जाता

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा